न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 07/2024

**प्रार्थीगण** **बनाम** **अप्रार्थीगण**

**प्रार्थीगण**

1 संजय पुत्र स्व. विजय कुमार जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला नागौर।

2 शिवकुमार पुत्र स्व. विजय कुमार जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला नागौर।

3 रामअवतार पुत्र जीतमल जाति माली निवासी नया दरवाजा नागौर तहसील व जिला नागौर बहैसियत खुद व बहैसियत प्रतिनिधि आम जनता नागौर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1 पूर्णप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति माली भाटी निवासी नया दरवाजा नागौर तहसील व जिला नागौर।

2 जुगलकिशोर पुत्र रामदयाल जाति माली भाटी निवासी नया दरवाजा नागौर तहसील व जिला नागौर।

3 तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री हरी प्रसाद सांचौरा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री पवन श्रीमाली अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से।

3– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 03 की ओर से।

**<u>आदेश</u>** दिनांक 02.02.2026

1– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्व रेफरेन्स अधीन धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार नागौर की पत्रावली सं. 312/76 के द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.12.1976 को निरस्त करते हुए उक्त भूमि खसरा नं. 9/887 में पूर्व अनुसार राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. गोवा का इन्द्राज करवाने को लेकर प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण द्वारा अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौजा नागौर की नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 से 32, 2036 से 39, 2033 से 44, 2045 से 48, 2053 से 56, 2049 से 52, 2058 से 66, 2061 से 64, बक्शीसनामा दिनांक 13.12.23, नामान्तरकरण संख्या 3302 दिनांक 21.01.24, न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण संख्या 312/76 की पत्रावली की फोटोप्रति, मौजा नागौर की जमाबंदी संवंत् 2077 की फोटोप्रति, फोटो–3, मौजा नागौर की जमाबंदी संवंत् 2033 से 36 की फोटोप्रति, न्यायालय तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 466/85 की फोटोप्रति, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 23.09.11 की फोटोप्रति, मौजा नागौर के नामान्तरकरण संख्या 275 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने माननीय न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के प्रकरण संख्या 126/24 की पत्रावली की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 नागौर के प्रकरण संख्या 72/24 व 71/24 की फोटोप्रति पेश की गई।

अपर कलक्टर, नागौर

2– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराये हुए तर्क दिये कि –

2(1) प्रार्थीगण नागौर के निवासी व जागरूक नागरिक तथा समाजसेवी व्यक्ति है जिनको सरकारी सम्पति, सरकारी भूमियों को सुरक्षित रखने व प्रतिबंधित भूमियों पर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण करने वालों, गलत रूप से प्रतिबंधित भूमियो को अपने नाम करवा कर पुख्ता कब्जा करने वालों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वांछित कानूनी कार्यवाही कर भूमि को संरक्षित रखने व पुनः सरकार खाते में दर्ज करवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने आदि का विधिक अधिकार है व इस हेतु हमेशा प्रयासरत रहे है कि सरकारी भूमि पर कोई भी अनाधिकृत रूप से कब्जा/ अतिक्रमण/गैर कानूनी आवंटन खातेदारी इत्यादि के आधार पर सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे व जो ऐसा करता है उनके विरूद्ध कार्यवाही संचालित करने व अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटवाने आदि के लिए प्रार्थीगण भारतीय नागरिक होने से उन्हे रेफरेंस आवेदन पेश करने का विधिक अधिकार होने से जनहित व राजहित में यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

2(2) मौजा नागौर के खसरा नं. 9 रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा सेटलमेंट से पूर्व से किस्म गैर मुमकिन गोवा रही थी, जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में है।

2(3) उपरोक्त सरकारी आराजी खसरा नं. 9 संवत 2029 से 2032 में खेती के अनुपयोगी गेर मुमकिन गोंवा किस्म भूमि रही है जो कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16(Vi) जनहित के उपयोग की होने से प्रतिबंधित जमीन रही है क्योकि उक्त खसरा की जमीन हमेशा नागौर शहर की जनता व पालतू जानवरों के आवागमन व चारागाह आदि के रूप में सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि रही है जिसकी खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अथवा अन्य तरह से स्वामित्व दस्तावेज बनवा कर कब्जा/अतिक्रमण करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है तथा आम जनता के सार्वजनिक उपयोग उपभोग से वंचित कतई नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपसी मिलीभगती से उक्त खसरा नं. 9 की जमीन के संबंध में बिना हक अधिकार के गलत रूप से कई व्यक्तियों ने निशुल्क नियमन करवा कर रेकर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। इसी क्रम में उक्त सरकारी प्रतिबंधित भूमि खसरा नं. 9 की किस्म भूमि गेर मुमकिन गोवा को स्व. रामदयाल पुत्र रामचन्द्र भाटी निवासी नया दरवाजा नागौर ने मिथ्या घोषणा करके जरिये नियमन पत्रावली संख्या 372/76 के उक्त खसरा में से 7 बीघा भूमि का गेर कानूनी नियमन करवा कर किस्म परिवर्तन कर बिना पात्र हुऐ उक्त 7 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में नये खसरा नं. 9/887 रकबा 7 बीघा जरिये नामान्तरकरण के तहत दर्ज करवा ली तथा किस्म बारानी दर्ज करवा कर तरमीम करवा ली जबकि इस हेतु वह न तो पात्र था न विधिनुसार ऐसा किया जा सकता था क्योकि उक्त जमीन राज० टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है जो नागौर शहर की जनता एवं पालतू जानवरो के आवागमन व चारागाह के रूप में उपयोग में आती रही है। इसलिए हाल खसरा नं. 9/887 की किस्म परिवर्तन व खातेदारी गैर कानूनी हुई, रही व है इसलिए उसे निरस्त कर पुनः सरकारी खाता में यानि खसरा नं. 9 सरकारी भूमि गे.मु. गोवा के रूप में दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेंस की प्रक्रिया की जाना आवश्यक व न्याय संगत है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र विधिवत पेश किया गया।

2(4) स्व. रामदयाल पुत्र रामचन्द्र भाटी निवासी नया दरवाजा नागौर ने अपनी मृत्यु दिनांक 12.6.2024 से पूर्व अपने पुत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पूर्णप्रकाश व जुगलकिशोर के नाम उक्त गलत रूप से दर्ज सरकारी भूमि का बिना अधिकार के नुमाईशी हस्तान्तरण विलेख

अपर कलक्टर, नागौर

बख्शीशनामे निष्पादित कर दिनांक 13.12.2023 को उप पंजीयक कार्यालय नागौर में अप्रार्थी पूर्णप्रकाश के हक में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1486 पृष्ठ संख्या 112 क्रमांक 2023030991184 पर पंजीबद्ध करवा दिया व दूसरा बख्शीशनामा अप्रार्थी संख्या 2 जुगलकिशोर के हक में उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1486 में पृष्ठ संख्या 111 कम संख्या 202303099112863 पर पंजीबद्ध करवा दिया व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने कथित गलत दर्ज खातेदारी की आड़ में अपने हक में करवाये गये हस्तान्तरण विलेखो के जरिये म्यूटेशन संख्या 3302 दिनांक 20.1.2024 दर्ज करवा लिया। इस प्रकार उक्त खसरा नं. 9/887 की 7 बीघा सरकारी प्रतिबंधित भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम गलत दर्ज करवाई होने से उनकी खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि को पुनः सरकारी खाता में यानि मूल खसरा नं. 9 रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा गोवा में दर्ज करवाई जाना आवश्यक व न्याय संगत है इस हेतु रेफरेंस किया जाना आवश्यक है ।

2(5) रेफरेंस प्रार्थना पत्र में मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है। इसलिए रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर कर उपरोक्त भूमि को पुनः गेर मुमकिन गोवा सरकारी भूमि दर्ज करने की सिफारिश की जाना राजहित व जनहित में आवश्यक व न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन में Nizamuddin Vs the board of revenue-1991 Supreme(Raj) 773 पेज 01 से 17 नजीर पेश की।

3 — वकील अप्रार्थी सं. 1 से 2 की ओर से अपनी बहस में बताया कि—

3(1) प्रार्थीगण की ओर से जो रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस रेफरेंस प्रार्थना पत्र में धारा 82 एल.आर. एक्ट का उल्लेख किया गया है तथा धारा 82 एल.आर. एक्ट इत्यादि में रेफरेंस पेश करने का अधिकार निजी तौर पर मात्र सरकार को है। जबकि प्रार्थीगण प्राइवेट व्यक्ति हैं। राजस्थान सरकार से इनका कोई संबंध नहीं है। जिस तथ्य को प्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते हैं तथा भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय नागरिक के नाते रेफरेंस करने हेतु किसी प्रकार के प्रावधान निर्धारित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उपरोक्त आपत्तियों के विरुद्ध रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश करने की विधिसंगत प्रथम दृष्टया लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थीगण का सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र विधिविरुद्ध तथा सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

3(2) प्रार्थीगण का यह कथन कि मौजा नागौर के ख.नं. 9 रकबा 39.01 बीघा सेटलमेंट से पूर्व गैर मुमकिन गोवा की भूमि रही हो तथा उपरोक्त तथ्य राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। यह भी गलत है कि पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बतलाई भूमि गैर मुमकिन गोवा रही हो। बल्कि उपरोक्त ख.नं. की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेज प्रार्थीगण को पेश करने का अधिकार नहीं है। इस कारण ही न्यायहित में भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस कारण खारिज फरमाया जावे।

3(3) प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि ख.नं. 9 संवत 2029 से 32 खेती के अनुपयोगी भूमि रही हो। यह भी गलत है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16(vi) में जनहित के उपयोगी भूमि के रूप में प्रतिबंधित हो। यह भी गलत है कि उपरोक्त बतलाई भूमि हमेशा से नागौर शहर की जनता व पालतू पशुओं आदि के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की हो। यह भी गलत है कि उपरोक्त जायगा के दस्तावेज इत्यादि बनाने का अधिकार नहीं हो। यह भी गलत है कि उक्त भूमि से आमजन को वंचित किये जाने का उद्देश्य हो। जहां तक प्रार्थीगण द्वारा बतलाई ख.नं. की भूमि के संबंध में नियमन करीब 50 वर्ष पूर्व स्व. रामदयाल पुत्र रामचन्द्र भाटी के नाम से विधि के अनुरूप किया गया था, जो नियमन पत्रावली सं. 312/76 कभी भी मिथ्या घोषणा के रूप में नहीं रही तथा उपरोक्त नियमन पत्रावली के जरिये 7 बीघा भूमि का नियमन किया गया

अपर कलक्टर, नागौर

है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज सही रूप से किया जाकर ख.नं. 9/887 रकबा 7 बीघा भूमि दर्ज की जाकर नामान्तरण किया गया है, जैसा नियमन करने का अधिकार सरकार इत्यादि को पूर्ण रूप से रहा है। यह गलत है कि उपरोक्त ख.नं. की भूमि का किस्म बाराणी दर्ज करने का अधिकार विभाग को नहीं हो तथा गलत रूप से तरमीम किया गया हो। उपरोक्त नियमन पत्रावली के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है, न ही इस हेतु प्रार्थीगण सक्षम हैं। यह गलत है कि उपरोक्त नियमन वाली भूमि टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती हो। यह भी गलत है कि किस्म परिवर्तन एवं खातेदारी गैर खातेदारी भूमि रही हो। यह भी गलत है कि उपरोक्त नियमनसुदा खातेदारी भूमि को सरकारी भूमि के रूप में अर्थात ख.नं. 9 की गैर मुमकिन गोवा के रूप में दर्ज करवाने का अधिकार उपरोक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को हो। प्रार्थीगण द्वारा अथवा किसी भी सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमन पत्रावली सं. 312/76 में नियमन आदेश को कभी भी चुनौती नहीं दी गई है, न ही ऐसे किसी आदेश का हवाला रेफरेंस पत्रावली में है। इस कारण उपरोक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। इस कारण भी प्रार्थीगण का उपरोक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र विधि के अनुरूप पेश किया जाना नहीं माना जा सकता। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न तो राजहित में है न ही जनहित में है, न ही प्रार्थीगण सरकारी कर्मचारी हैं, न ही प्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अधिकृत ही किया है, न ही प्रार्थीगण ने राज्य सरकार से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

3(4)प्रार्थीगण का यह कथन कि स्व. रामदयाल की मृत्यु 12.06.24 को हो चुकी हो तथा मृत्यु से पूर्व उसने अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से बक्शीसनामा दिनांक 13.12.2023 निष्पादित करवाकर पंजीबद्ध करवाया वह पूर्ण रूप से सही है, जिन बक्शीसनामों को नुमाईशी तथा गैर कानूनी अथवा बिना अधिकार के निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाया हो, कहा जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है, न ही प्रार्थीगण को उक्त वैधानिक वसीयतनामों को फर्जी कहने का अधिकार ही है। इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि गलत खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम गलत प्रकार से बक्शीसनामा निष्पादित करवाये हों। जहां तक उक्त वैधानिक बक्शीसनामा के आधार पर म्यूटेशन सं. 3302 दिनांक 20.01.2024 पूर्ण रूप से सही है। यह भी गलत है कि उपरोक्त अनुच्छेद में बतलाई भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम गलत रूप से रिकॉर्ड में दर्ज हुई हो। यह भी गलत है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त ख.नं. की भूमि की वैधानिक खातेदारी जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम विधिनुसार दर्ज की गई है, उस खातेदारी को निरस्त करवाने का अधिकार हो। यह भी गलत है कि प्रार्थीगण को सरकारी खाते में अप्रार्थीगण की उक्त बक्शीसनामें वाली तथा म्यूटेशन वाली जायगा को ख.नं. 9 रकबा 39.01 बीघा में सम्मिलित करवाने का अधिकार प्रार्थीगण को हो अथवा उस हेतु सरकार को सूचित कर पत्रावली भेजा जाना आवश्यक हो। बल्कि प्रार्थीगण का सम्पूर्ण रेफरेंस प्रार्थना पत्र निराधार, सारहीन, विधिविरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

3(5) प्रार्थीगण द्वारा जिस नियमनसुदा भूमि के संबंध में आपत्ति की है वह आदेश प्रार्थीगण के जन्म से पूर्व नियमन पत्रावली से संबंधित है। यह गलत है कि प्रार्थीगण की रेफरेंस मियाद के बाहर न हो अथवा मियाद का नियम लागू नहीं होता हो। यह गलत है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त रेफरेंस राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर करवाने का अधिकार हो तथा रेफरेंस के जरिये चाहा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार हो। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4— अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने वकील प्रार्थीगण की बहस का समर्थन किया एवं बताया कि आराजी भूमि की किस्म गोवा है और गोवा भूमि को खातेदारी के अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अपर कलक्टर, [illegible]

5— उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार मौजा नागौर के खसरा नम्बर 9 रकबा 39 बीघा 01 बीस्वा भूमि जमाबन्दी संवंत 2029 से 2032 के अवलोकन अनुसार वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन गोवा दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार गोचर/गोवा/ चारागाह भूमि ऐसी श्रेणी की भूमि है, जिसका किसी भी परिस्थिति में आवंटन, नियमन अथवा खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि द्वारा निषेध है। अतः ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में खातेदारी अधिकार/नियमन किया जाना प्रथमदृष्ट्या ही विधि विरुद्ध है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा नागौर के वादग्रस्त खसरा नंबर 9, रकबा 39 बीघा 01 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन गोवा में से 7 बीघा भूमि का नियमन अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता रामदयाल के नाम पत्रावली संख्या 312/76 द्वारा दिनांक 16.12.1976 को किया गया, जिसके नये खसरा नंबर 9/887 बने। उक्त नियमन आदेश न तो सक्षम विधिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है और न ही राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है। स्पष्टतः यह आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के आधार पर प्रदत्त खातेदारी अधिकार/नियमन आदेश विधि सम्मत नहीं माने जा सकते।

यह भी उल्लेखनीय है कि गैर मुमकिन गोवा भूमि का संरक्षण सार्वजनिक हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है तथा उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि गैर मुमकिन गोवा भूमि पर किसी प्रकार का अवैध आवंटन या नियमन शून्य (Void ab initio) माना जाएगा तथा उसे किसी भी स्तर पर संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।

अतः उपर्युक्त तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि तहसीलदार नागौर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 16.12.1976 पूर्णतः अवैध, अधिकार क्षेत्र से परे तथा विधि के प्रतिकूल है।

अतः प्रार्थीगण का रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नागौर की पत्रावली संख्या 312/76 द्वारा नियमन आदेश दिनांक 16.12.1976 एवं तत्पश्चात आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन गोवा के रूप मे पूर्ववत स्थिति बहाल करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

6— आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर